


## मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/399/

112

भोपाल, दिनांक 24/09/2012

प्रति,



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

सतपुड़ा भवन, म0प्र0 भोपाल


विषय :- व्यापारी विनिर्माता या उपभोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट वनोपज काष्ठ के पुर्नविकय पर हस्तांतरण (प्रतिफल) शुल्क में संशोधन के संबंध में ।

—00—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 399 वीं बैठक दिनांक 28-08-2012 में (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक-04) में मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक /समिति./8/2000/426 दिनांक 05-08-2000 द्वारा स्वीकृत हस्तान्तरण शुल्क (प्रतिफल) की राशि को अधिक्रमित कर अब सम्पूर्ण विनिर्दिष्ट प्रजातियों की काष्ठ व उससे निर्मित जलाऊ पर हस्तांतरण शुल्क विकय मूल्य का 3 प्रतिशत लिये जाने की राज्य शासन एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है । यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

  
 (बी.बी. सिंह)

पदेन सचिव

म.प्र.शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक /09/2012

पृ0क्र0/समिति/399/

प्रतिलिपि :-

- 1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र.ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 28-08-2012 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वापिस  
 न.मि.  
 म.प्र. शासन  
 25/9

हस्ता/—  
 पदेन सचिव

म.प्र.शासन, वन विभाग